

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,

विकास प्राधिकरण,

लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली,
मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, गोरखपुर, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, झांसी,
मुजफ्फरनगर, रामपुर, हापुड़-पिलखुवा, बुलन्दशहर, रायबरेली, उरई,
उन्नाव, शुक्लागंज, अयोध्या, बांदा, बस्ती, खुर्जा, आजमगढ़, कानपुर,
बागपत-बड़ौत-खेकड़ा, मीरजापुर-विन्ध्याचल, मथुरा-वृन्दावन।

2. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी

विनियमित क्षेत्र,

शाहजहाँपुर, मऊनाथ भंजन, फर्रूखाबाद-फतेहगढ़, इटावा, सम्भल,
अमरोहा, फतेहपुर, बहराईच, जौनपुर, सीतापुर, बदायूँ, लखीमपुर, हाथरस,
ललितपुर, देवरिया, पीलीभीत, हरदोई, मैनपुरी, एटा, चन्दौसी, गोण्डा,
गाजीपुर, सुलतानपुर, बलिया, कासगंज।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 24 अप्रैल, 2023

विषय:- शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित अटल मिशन फॉर
रिज्यूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रान्सफार्मेशन (AMRUT) के अन्तर्गत प्रदेश के 59
नगरों की जी.आई.एस. आधारित महायोजना तैयार किये जाने विषयक।

महोदय,

आप अवगत हैं कि आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा
संचालित अमृत योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 के 59 नगरों की जी.आई.एस. महायोजना
तैयार किये जाने की कार्यवाही गतिमान है। शासन द्वारा अब तक केवल अयोध्या
महायोजना, 2031 भाग-क एवं उरई महायोजना, 2031 को ही स्वीकृति प्रदान की
गयी है।

2- अन्य नगरों की जी.आई.एस. आधारित महायोजना तैयार किये जाने की प्रगति
की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन
की अध्यक्षता में दिनांक 26.04.2023 को अपरान्ह 12:30 बजे से उनके श्री लाल
बहादुर शास्त्री भवन, प्रथम तल स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आहूत की गयी है।
उक्त बैठक में जनपद लखनऊ के बाहर स्थित अधिकारियों द्वारा ऑन लाईन प्रतिभाग
किया जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में संलग्न प्रारूप के अनुसार अद्यतन सूचना मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को दिनांक 24.04.2023 तक उपलब्ध कराते हुए उक्त बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। ऑन लाईन प्रतिभाग किये जाने हेतु यथा समय उपलब्ध करा दिया जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,
24.4.2023

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या- 922 (1)/आठ-3-23-170 विविध/2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु प्रेषित :-

- (1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया प्रकरण में समेकित सूचना के साथ उक्त बैठक में ससमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
- (2) निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ।

आज्ञा से,

(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

अमृत योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही जी०आई०एस० आधारित महायोजना की प्रगति समीक्षा हेतु

प्रारूप

क. सं.	अभिकरण / नगर का नाम	कन्सेल्टेंट का नाम	अनुबन्ध की तिथि	इन्सपेक्शन रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि	एन.आर. एस. सी. हैदराबाद द्वारा वेस मैप उपलब्ध कराय जाने की स्थिति	प्रारूप महायोजना तैयार करने हेतु विभिन्न स्टेक होल्डर्स से कन्सल्टेशन (तिथि / तिथियाँ)	प्रारूप महायोजना तैयार किये जाने की अनुमानित तिथि	प्रारूप महायोजना पर प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन की अनुमानित तिथि	प्रारूप महायोजना पर जनसामान्य से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने की अनुमानित तिथि	प्राप्त आपत्ति / सुझावों की सुनवाई की अनुमानित तिथि	आपत्ति / सुनवाई के निस्तारणोपयान्त पर बोर्ड के अनुमोदन की अनुमानित तिथि	प्रारूप महायोजना को शासकीय समिति के परीक्षण हेतु प्रेषित किये जाने की अनुमानित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13